उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-3

संख्या-517/का-3-92-9/66/90
लखनऊ: दिनांक: 29 फरवरी, 1992

दिनांक 29 फरवरी, 1992 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी संकाय (गैर प्रशासनिक) (राजपत्रित) सेवा नियमावली 1992 की एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अगामी गजट में प्रकाशनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया नियमावली की मुद्रित 500 प्रतियां शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल
3. संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल लखनऊ शाखा लखनऊ।
4. कार्मिक नियमावली सेल
5. भाषा अनुभाग-6

आज्ञा से,

(आर०एस० वार्ष्णेय)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-3
सं0- 517/का-3-92-9/66/90
लखनऊ: दिनांक: 29 फरवरी, 1992

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी संकाय (गैर प्रशासनिक)(राजपत्रित) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी संकाय (गैर प्रशासनिक)(राजपत्रित) सेवा नियमावली 1992

भाग- एक सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी संकाय (गैर प्रशासनिक) (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1992 कही जायगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी संकाय (गैर-प्रशासनिक)(राजपत्रित) सेवा में समूह "क" और "ख" के पद समाविष्ट है।

परिभाषायें 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,--

(क) " नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्यपाल से है,

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग -दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है,

(घ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान " से है,

(ड0) " सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

-2-

Scanned with OKEN Scanner

(ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी संवर्ग (गैर-प्रशासनिक) राजपत्रित सेवा से है,

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो, और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो,

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट "क" में दी गयी है:

परन्तु :

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग-तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति निम्न प्रकार की जायगी:-

(एक) सरकारी विभागों में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति जो परिशिष्ट "ख" में सुसंगत पद के सम्मुख उल्लिखित अर्हता रखते हों, के स्थानान्तरण द्वारा,

(दो) यदि स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों में से जो उक्त अर्हता रखते हो, संविदा पर नियुक्ति की जायेगी.

-3-

निगम या निकाय में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों में से जो उक्त अर्हता रखते हो, संविदा पर नियुक्ति की जायगी,

(तीन) यदि संविदा पर भी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

टिप्पणी:- खण्ड (एक) या खण्ड (दो) के अधीन किसी पद पर नियुक्ति की अवधि ऐसी नियुक्ति के साथ उसके ठीक पूर्वधृत किसी अन्य पद पर पांच वर्ष से अनाधिक होगी।

आरक्षण 6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग-चार-अर्हतायें

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

Scanned with OKEN Scanner

शैक्षिक अर्हता

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें हों:-

पद	अर्हता
(1) संयुक्त निदेशक (व्यवहार विज्ञान)	अनिवार्य: (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से व्यवहार विज्ञान या मनोविज्ञान में डाक्टरेट की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (दो) अध्यापन या शोध कार्य में तीन वर्ष का अनुभव या (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से व्यवहार विज्ञान मनोविज्ञान सामाजिक कार्य या मानव संसाधन विकास में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (दो) अध्यापन या शोध कार्य में पांच वर्ष का अनुभव
(2) संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	अनिवार्य (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डाक्टरेट की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि (दो) अध्यापन या शोध कार्य में तीन वर्ष का अनुभव या (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या प्रथम श्रेणी में कम्प्यूटर विज्ञान में प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

Scanned with OKEN Scanner

158

(दो) अध्यापन या शोध कार्य में पांच वर्ष का अनुभव

3. संयुक्त निदेशक (लोक प्रशासन)

अनिवार्य

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन या राजनीति शास्त्र में डाक्टरेट की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

(दो) अध्यापन या शोध कार्य में तीन वर्ष का अनुभव

या

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन या राजनीति शास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

(दो) अध्यापन या शोध कार्य में पांच वर्ष का अनुभव।

4. उपनिदेशक (अर्थशास्त्र)

अनिवार्य

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

(दो) अध्यापन या शोध कार्य में तीन वर्ष का अनुभव।

या

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

(दो) अध्यापन या शोध कार्य का पांच वर्ष का अनुभव।

5. संयुक्त निदेशक (प्रबन्ध विज्ञान)

अनिवार्य

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्रबन्ध विज्ञान कार्मिक प्रबन्ध या किसी [illegible] में डाक्टरेट की उपाधि या [illegible] मान्यता प्राप्त कोई

या वित्तीय प्रबन्ध में डाक्टरेट की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि ।

(दो) अध्यापन या शोध कार्य में तीन वर्ष का अनुभव

या

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्रबन्ध विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि ।

(दो) अध्यापन या शोध कार्य में पांच वर्ष का अनुभव

6. सहायक निदेशक (शोध कार्य)

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शोध प्रणाली विज्ञान के साथ मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रबन्ध विज्ञान या राजनीति शास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शोध प्रणाली विज्ञान के सा[थ] मनोविज्ञान समाज शास्त्र अर्थशास्त्र प्रबन्ध विज्ञान या राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि और अध्यापन या शोध कार्य में दो वर्ष का अनुभव :

परन्तु सरकार नियम 15 के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर किसी अभ्यर्थी के संबंध में जो सीधी भर्ती के लिये अन्यथा उपयुक्त हो, विहित अर्हताओं और अनुभव को उस सीमा तक जैसा वह उचित समझे, शिथिल कर सकती है।

7. अधिमानी अर्हता

9. सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी को जो नियम 8 में यथा उल्लिखित किसी पद के संबंध में अनिवार्य अर्हता रखता हो और:-

(एक) जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो व[र्ष] की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा ।

आयु 10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और नीचे प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित से अधिक आयु नही होनी चाहिए:

(1) संयुक्त निदेशक	45 वर्ष
(2) उप निदेशक	45 वर्ष
(3) सहायक निदेशक	40 वर्ष

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में [illegible] अपना समाधान [illegible] लेगा।

टिप्पणी :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष-सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो. :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान [illegible] हैं।

-8-

Scanned with OKEN Scanner

स्थानान्तरण या शारीरिक स्वस्थता

13. किसी भी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के लिए सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले।

भाग-पांच-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायगी स्थानान्तरण या संविदा द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना सरकार के कार्मिक विभाग को दी जायगी।

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) चयन के लिये विचारार्थ आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितने वे पर्याप्त समझें और जो अपेक्षित अर्हतायें पूरी करते हों, साक्षात्कार के लिये बुलायेगा।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की एक सूची उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम योग्यता के क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

-9-

चयन द्वारा प्रक्रिया

16. (1) स्थानान्तरण द्वारा या संविदा द्वारा नियुक्ति एक चयन समिति के माध्यम से की जायगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(एक) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग

(दो) निदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी,

(तीन) निदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी द्वारा नाम निर्दिष्ट उस विषय का एक विशेषज्ञ ।

टिप्पणी:- ज्येष्ठ अधिकारी चयन समिति का अध्यक्ष होगा ।

(2) स्थानान्तरण या संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए प्राप्त समस्त आवेदन पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

(3) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी, और नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितने इस संबंध में समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हो, साक्षात्कार के लिये बुलायेगी।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की एक सूची उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम ... योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

टिप्पणी: (1) स्थानान्तरण द्वारा या संविदा पर नियुक्ति के लिये संस्तुति करते समय चयन समिति यह सुनिश्चित करेगी, कि संस्तुत अभ्यर्थियों के संबंध में ऐसी नियुक्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथास्थिति, सम्बद्ध सरकारी विभाग, विश्वविद्यालय या निगम या निकाय से प्राप्त हो गया है।

(2) चयन समिति स्थानान्तरण पर या संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को दिये जाने वाले वेतन इत्यादि के संबंध में भी, यदि वह सरकार के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स या विशिष्ट आदेशों के अधीन न आते ... हो,

Scanned with OKEN Scanner

संस्तुति करेगी।

भाग-छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 17. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम, यथास्थिति नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूचियों के क्रम में लेकर, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक मौलिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख चयन में यथा अवधारित ज्येष्ठता क्रम में किया जायगा।

परिवीक्षा 18. (1) सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान कर सकने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उप नियम 3 के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवायें समाप्त की जायं वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

स्थायीकरण 19 (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त और नियम 18 के अधीन परिवीक्षा पर रखे गये व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि,—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और,

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार, स्थायीकरण आवश्यक न हो तो वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश, कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा ।

ज्येष्ठता 20. किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

<u>भाग- सात- वेतन इत्यादि</u>

वेतनमान 21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं:-

पद का नाम	वेतनमान
1-संयुक्त निदेशक (व्यवहार विज्ञान)	3700-125-4700-150-5000रुपये
2-संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	-तदैव-
3-संयुक्त निदेशक (लोक प्रशासन)	-तदैव-
4- संयुक्त निदेशक (प्रबंध विज्ञान)	-तदैव -
5-उप निदेशक (अर्थशास्त्र)	3000-100-3500-125-4500 रुपये
6-सहायक निदेशक (शोध कार्य)	2200 -75-2800-द0रो0-100-4000रुपये

(3) स्थानान्तरण या संविदा द्वारा नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतन ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा ऐसी नियुक्ति के संबंध में अवधारित किया जाय।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

22- (क) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त और नियम 18 के अधीन परिवीक्षा पर रखे गये किसी व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नही की जायेगी जबतक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा था, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नही की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड

23. किसी भी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय; और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग- आठ -अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24. सेवा या पद के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर सिफारिश चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

25. उन विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

26. जहाँ सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रर्वतन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहतेहुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें, आयोग के परामर्श से अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनकी इस संबंध में

-----14

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है।

आज्ञा से,

(ओ० पी० आर्य)
सचिव,

परिशिष्ट "क"

(नियम 4 (2) देखिए)

क्रमसंख्या	पद का नाम	पदों की संख्या स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5
1-	संयुक्त निदेशक, (व्यवहार विज्ञान)	1	-	1
2-	संयुक्त निदेशक, (कम्प्यूटर)	-	1	1
3-	संयुक्त निदेशक, (लोक प्रशासन)	-	1	1
4-	संयुक्त निदेशक, (प्रबंध विज्ञान)	-	1	1
5-	उप निदेशक, (अर्थ शास्त्र)	-	1	1
5-	सहायक निदेशक, (शोध कार्य)	-	1	1
	योग	1	5	6

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट "ख"

(नियम 5 देखिए)

क्रमसंख्या पद का नाम	अनिवार्य अर्हता	अधिमानी अर्हता
1- संयुक्त निदेशक, (व्यवहार विज्ञान)	व्यवहार विज्ञान या मनोविज्ञान में न्यूनतम 54प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि	1-सम्बन्धित विषय में डाक्टरेट की उपाधि 2-अध्यापन या शोध कार्य का अनुभव।
2- संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या न्यूनतम 54प्रतिशत अंकों के साथ कम्प्यूटर विज्ञान में प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर उपाधि।	सम्बन्धित विषय में डाक्टरेट की उपाधि।
3- संयुक्त निदेशक (लोक प्रशासन)	न्यूनतम 54 प्रतिशत अंकों के साथ लोक प्रशासन या राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि।	सम्बन्धित विषय में डाक्टरेट की उपाधि।
4- संयुक्त निदेशक (प्रबंध विज्ञान)	न्यूनतम 54 प्रतिशत अंकों के साथ प्रबंध विज्ञान, कार्मिक प्रबंध या वित्तीय प्रबंध में स्नातकोत्तर उपाधि।	सम्बन्धित विषय में डाक्टरेट की उपाधि।
5- उप निदेशक (अर्थशास्त्र)	न्यूनतम 54 प्रतिशत अंकों के साथ अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि।	अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की उपाधि।
6- सहायक निदेशक (शोध कार्य)	शोध प्रणाली विज्ञान के साथ मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रबंध विज्ञान या राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि।	—

परिशिष्ट "क"

(नियम 4 (2) देखिए)

क्रमसंख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5
1-	संयुक्त निदेशक, (व्यवहार विज्ञान)	1	-	1
2-	संयुक्त निदेशक, (कम्प्यूटर)	-	1	1
3-	संयुक्त निदेशक, (लोक प्रशासन)	-	1	1
4-	संयुक्त निदेशक, (प्रबंध विज्ञान)	-	1	1
5-	उप निदेशक, (अर्थ शास्त्र)	-	1	1
5-	सहायक निदेशक, (शोध कार्य)	-	1	1
	योग	1	5	6

संख्याः– 1242/xxx (2)/2013

उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी
नैनीताल
दि० 26/02/14

प्रेषक,

रमेश चन्द्र लोहनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी,
नैनीताल।

उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी
580
01-03-14

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 25 फरवरी, 2014

विषयः– उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में संकाय अधिकारियों के रिक्त पदों पर स्थानान्तरण/संविदा के आधार पर तैनाती विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र संख्या–1257/एक–17 (2011) पार्ट दिनांक 19 नवम्बर, 2013 के सन्दर्भ में सम्यंक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी में संकाय अधिकारियों के रिक्त पदों पर कार्यहित में उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी संकाय (गैर प्रशासनिक) राजपत्रित) नियमावली, 1992 के नियम –5 में निहित व्यवस्थानुसार सरकारी विभागों में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की सेवा स्थानान्तरण के आधार पर पात्र अभ्यर्थी जो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियत्रणाधीन किसी निगम या निकाय में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों में से जो निम्न विवरणानुसार पद के सम्मुख अंकित अर्हता रखने वाले कार्मिकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

CAO

क्र0	पदनाम	वेतनमान	पद का संवर्ग	पदों की संख्या	निर्धारित अर्हतायें
1	संयुक्त निदेशक (लोक प्रशासन)	3700–6000 +गेड वेतन 8700	पी0सी0एस0	01	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन या राजनीति शास्त्र में डाक्टरेट की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि. 2. अध्यापक या शोध कार्य में तीन वर्ष का अनुभव या 3. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन या राजनीति शास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि. 4. अध्यापक या शोध कार्य में पाँच वर्ष का अनुभव.
2	संयुक्त निदेशक (व्यवहार विज्ञान)	37400–6700 +ग्रेड वेतन 7600	निःसंवर्गीय	01	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से व्यवहार विज्ञान या मनोविज्ञान में डाक्टरेट की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि. 2.अध्यापन या शोध कार्य में तीन वर्ष का अनुभव या. 3. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से व्यवहार विज्ञान, मनोविज्ञान सामाजिक कार्य या मानव संसाधन विकास में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार

28.2.2014

Scanned with OKEN Scanner

					द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि.
3	उप निदेशक (प्रशिक्षण)	15600–39100 +ग्रेड वेतन 6600	निःसंवर्गीय	01	1. केन्द्र /राज्य सरकार एवं इनके नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालय /स्वात्तशासी संगठनों के अन्तर्गत नियमित आधार पर समान पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा जिन्होने वेतनमान रू0 8000–13500 में अथवा समकक्ष में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा निम्नानुसार पद के लिए निर्धारित अर्हतायें और अनुभव रखतें हों. 2 भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान /समाजशास्त्र अथवा प्रबन्ध विज्ञान में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि. 3. प्रशिक्षण एवं अध्यापक में 03 वर्ष का अनुभव दृ 4. अधिमानी अर्हता –सम्बन्धित विषय में डाक्टरेट की उपाधि , सम्बन्धित विषय में स्तरी प्रकाशन. लेखन एवं प्रस्तुतीकरण कौशल.
4	विशेष कार्याधिकारी (शोध)	15600–39100 +ग्रेड वेतन 5400	निःसंवर्गीय	01	1. केन्द्र/राज्य सरकार एवं इनके नियंणाधीन विश्वविद्यालय /स्वात्तशासी संगठनोंके अन्तर्गत नियमित आधार पर समान पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा जिन्होने वेतनमान रू0 8000–13500 में अथवा समकक्ष में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा निम्नानुसार पद के लिए निर्धारित अर्हतायें और अनुभव रखते हो. 2. भारत में विधि स्थापित किसी विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रबन्ध विज्ञान या राजनीतिशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि, 3. अध्यापन या शोध कार्य में 03 वर्ष की अनुभव, 4. अधिमानी अर्हता –सम्वन्धित विषय में पी0एच0डी0 उपाधि, सम्बन्धित विषय क्षेत्र में स्तरीय प्रकाशन तथा लेखन एवं प्रस्तुतिकरण कौशल.

भवदीय,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

Scanned with OKEN Scanner